

कारके इति - 'कारके' यह अधिकार सूत्र है।

'कारके' इस सूत्र का यहाँ अपने स्थान पर कोई (पूर्ण) अर्थ नहीं, आगे आने वाले प्रत्येक सूत्र में अग्रिम सूत्रों के साथ मिल कर यह अर्थ बोध कराता है। आगे आने वाले प्रत्येक सूत्र में 'कारके' यह पद उपस्थित होता है।

कारके सूत्र को लेकर ही आगे आने वाले सूत्रों का अर्थ पूरा होता है।

सप्तम्यन्त होने से कारक पद के अर्थ का अनुवाद किया गया है, सप्तमी निर्धारण अर्थ में है, अतः 'कारकेषु मध्ये, कारको में' ऐसा अर्थ इसका होता है।

कारके - यह एक वचनान्त पद है।

यहाँ एकवचन 'जाति' अर्थ को लेकर हुआ है, जाति अनेक में रहने वाला धर्म होता है। इसलिये अनेकता की साक्षात् प्रतीति न होने पर भी प्रतीति हो जाती है। अतः कारके का अर्थ 'कारकेषु मध्ये' किया गया है।

श्राव्यकार ने कारक संज्ञा को पूर्वसिद्ध नहीं माना है, उन्होंने 'कारके' इस सप्तमी को प्रथमा के अर्थ में मानकर अर्थ किया है 'कारकम्'। इस मत के अनुसार आगे आने वाले प्रत्येक सूत्र में उपस्थित होकर यह 'कारके' पद प्रथमान्त बन कर वाक्य भेद से अन्वित होता है।

'कारक' संज्ञा अन्वर्थ संज्ञा है - अर्थ का अनुसरण करने वाली है।

कारक पद का अर्थ है - करोतीति कारकम्। अर्थात् जो क्रिया को करता है अथवा क्रिया के साथ जिसका अन्वय होता है।

इस प्रकार अर्थ के अनुकूल 'कारक' नाम होने से 'ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति - ब्राह्मण के पुत्र से शरणा पुद्धता है, - इस वाक्य में क्रिया को करने वाला न होने से अथवा क्रिया से सम्बन्ध न होने से 'ब्राह्मण' कारक नहीं।

ब्राह्मण यहाँ पुत्र का विशेषण है, पुत्र से सम्बन्ध अवश्य शरणा है, पर वाक्य में आई हुई प्रश्न क्रिया को न वह करता है और न उसका सम्बन्ध (अन्वय) ही है, प्रश्न क्रिया का सम्पादन करने वाला पुत्र है, ब्राह्मण नहीं, वह तो यहाँ अन्वया सिद्ध है।

कुछ लोगों ने 'कारक' इस अधिकृत पद का अर्थ 'क्रिया' ही किया है, 'करोति कर्मादिव्यपदेशम्' अर्थात् जो कर्म आदि संज्ञाओं को करता है - उसे कारक कहते हैं।
कर्म आदि संज्ञाओं को करने वाली क्रिया ही है।
जब कर्म आदि का क्रिया के साथ सम्बन्ध होगा तभी उनकी कर्म आदि संज्ञा हो सकेगी - अन्यथा नहीं।

कारक विभक्ति — कर्म आदि कारक अर्थ में होने वाली विभक्तियों को कारक विभक्ति कहा जाता है।

उपपद विभक्ति — उन्हें कहा जाता है जो किसी पद के योग में आती हैं।

सभी विभक्तियाँ दो दो प्रकार की हैं —

कारक विभक्ति — उपपद विभक्ति

'कारके' पद प्रथमान्त बन कर वाक्य भेद से अन्वित होता है — 'कर्तुरीसित्तमं कर्म', इसके दो वाक्य बन जाते हैं।

कर्तुरीसित्तमं कारकं — कर्ता क्रिया के द्वारा जिस विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कारक संज्ञा होती है।

इस वाक्य में अधिकृत 'कारके' यह सप्तम्यन्त पद पूर्वोक्त प्रकार से प्रथमान्त बन कर विधेय बन जाता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कारक संज्ञा पहले से सिद्ध नहीं, अपितु इसी सूत्र से की जाती है।

दूसरा वाक्य होता है 'कर्म' — इसका अर्थ क्रिया जाता है कि उस कारक की कर्म संज्ञा होती है अर्थात् क्रिया के द्वारा कर्ता के जिस इच्छित्तम की कारक संज्ञा की गई है उसी की कर्म संज्ञा भी होती है।

इस प्रकार कारक और कर्म दोनों संज्ञाओं का समावेश हो जाता है, इन दोनों संज्ञाओं के समावेश के कारण 'कारके' पद की अनुवृत्ति है, जो सप्तम्यन्त होने हुए भी प्रथमान्त का अर्थ देता है, कारक इस गौण संज्ञा का विधान करता है।

कर्तुरीप्सिततमं कर्म

कर्तुः क्रिया आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्म-संज्ञं स्यात्
कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना
चाहता है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है।

इस सूत्र में 'कर्तुः', 'इप्सिततमम्' और 'कर्म' ये तीन
पद हैं, चतुर्थ पद कारके की अनुवृत्ति जाती है।

कर्तुः पद षष्ठ्यन्त है और इसका सम्बन्ध 'इप्सिततमम्'
के साथ है।

'कर्तुः' में षष्ठी 'क्त्वस्य च वर्तमाने' इस सूत्र से अनुक्त
कर्ता में आई है।

'इप्सिततमम्' का अर्थ है - प्राप्त करने को अत्यन्त इष्ट
अर्थात् जिसे प्राप्त करना अत्यन्त अधिक इष्ट हो।

प्राप्त करना भी क्रिया के द्वारा ही होना चाहिए, इसीलि
वृत्ति में कहा गया है 'कर्तुः क्रिया आप्तुमिष्टतमम्'

जिस क्रिया के द्वारा कर्ता अन्य को विशेष रूप से प्राप्त
करना चाहता है, उसी क्रिया के प्रति वह अन्य पदार्थ कर्म

होगा है, जैसे - देवफलं पश्यति - देवफल को देखता है।

इस वाक्य में दर्शन क्रिया के द्वारा कर्ता देवदत्त को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है ।

अनुवृत्ति को समझने के लिए पाणिनि के सूत्रों का क्रम अच्छा-
ध्यायी के अनुसार जान लेना चाहिए ।

632 आधारोऽधिकरणम् 1/4/45

542 अधिशीङ्-स्थाऽऽत्तां कर्म 1/4/46

543 अभिनिविशश्च 1/4/47

544 उपान्वध्याङ्-वसः 1/4/48

- कर्तुरीप्सितम् कर्म

इस क्रम के अनुसार प्रकृत सूत्र में पूर्व सूत्र

‘अधिशीङ्-स्थाऽऽत्तां कर्म’ कर्म पद की अनुवृत्ति आ
सकती है । परन्तु उक्त कर्म पद के साथ ‘आधार’ पद
भी है जो उसमें ‘आधारोऽधिकरणम्’ सूत्र से आता
है इसीलिए ‘अधिशीङ्-’ सूत्र आधार की कर्म संज्ञा
करता है । अतः जब इस सूत्र में पूर्व सूत्र से ‘कर्म’ पद
की अनुवृत्ति आयेगी, तो कर्म पद के साथ जुड़े
हुए आधार पद की भी अनुवृत्ति आयेगी, तब इस सूत्र
का स्वरूप होगा ‘कर्तुरीप्सितमाधारः कर्म’ ।
इस स्वरूप में सूत्र का अर्थ होगा - कर्ता के ईप्सितम्
आधार की कर्म संज्ञा होती है ।

इसी स्थिति में जिस क्रिया का आधार कर्म हो सकता होगा, उसी की कर्म संज्ञा होगी।

जैहं प्रविशति — इस वाक्य में प्रवेश क्रिया का आधार भी 'जैहं' है और क्रिया के द्वारा कर्ता का इच्छिततम भी, अतः यहाँ 'जैहं' की कर्म संज्ञा हो जायगी, पर जहाँ कर्म का आधार होना संभव नहीं, वहाँ कर्म संज्ञा नहीं होगी —

औदनं भुङ्क्ते — भोजन क्रिया के द्वारा कर्ता का इच्छिततम औदन है, पर भोजन क्रिया का आधार नहीं, अतः यहाँ कर्म संज्ञा न हो सकेगी।

आधार की योग्यता वाला कर्म तो बहुत कम धातुओं का मिलेगा, अतः बहुत थोड़े स्थलों में कर्म संज्ञा हो सकेगी।

इस आपत्ति को दूर करने के लिए इस सूत्र में कर्म की अनुवृत्ति नहीं लाई गई, अपितु 'कर्म' पद का ग्रहण कर लिया गया। तब इच्छिततम की ही कर्म संज्ञा हो जाती है।

‘क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं नृपुंसकलिङ्गता च क्तव्या —

क्रियाविशेषणों की कर्मसंज्ञा होती है और वे नृपुंसक लिङ्ग होते हैं’ इस वार्तिक के अनुसार ‘मधुरं भाषते’ - ग्रीठा बोलता है ‘इत्यादि स्थलों में मधुर आदि क्रियाविशेषणों की कर्मता और नृपुंसकलिङ्गता समझनी चाहिए।

मधुरं भाषते - भाषण क्रिया द्वारा कर्ता का विशेष दृष्ट मधुर होने से कर्मसंज्ञा पूर्वोक्त नियम से ही जायगी।

नृपुंसकलिङ्गता — सामान्ये नृपुंसकम् - जहाँ पुंस्त्व या स्त्रीत्व की प्रतीति न हो वहाँ (सामान्य में) नृपुंसक लिङ्ग होता है।

क्रियाविशेषण के अर्थ में न तो पुंस्त्व की और न स्त्रीत्व की ही प्रतीति होती है, अतः सामान्य होने से उसमें नृपुंसकता स्वतः सिद्ध हो जायगी।

‘कर्म’ आदि कारक अर्थ हैं, उनकी प्रतीति अन्य से भी हो सकती है। जब अन्य किसी के द्वारा उनकी प्रतीति नहीं होती अर्थात् यह कर्म है, यह करण है, इत्यादि रूप से ‘कर्म’ आदि का जब स्पष्ट कथन न हो, तब द्वितीया आदि के द्वारा उनको बताया जाता है। द्वितीया आदि विभक्तियाँ कर्मकारक आदि अर्थों के लिये हैं, प्रकाशक हैं, विभक्ति रूप लिये से कर्मकारक आदि अर्थों को प्रकट किया जाता है।

अभ्ययन सामग्री

बी. ए. (संस्कृत) पार्ट 1

प्रश्नपत्र - द्वितीय

डॉ० मालविका तिवारी

सहायक प्राध्यापक

संस्कृत विभाग

मूच. डी. जैन कॉलेज

आरा

(वी. के. ० सिं. वि. ०)